न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/234/2004/कोटा

1— सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा
2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां

——प्रार्थी

बनाम

1— मोहनलाल)
2— आनन्दी लाल) पुत्रगण मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी रटावद तह0 बारां,
3— जगदीश चन्द्र) जिला बारां।

——अप्रार्थी

4— मंदिर श्री माताजी विराजमान रटावद जरिए पुजारी द्वारकालाल पुत्र प्रभुलाल गुप्ताई निवासी रटावद जिला बारां

——तरतीबी अप्रार्थी।

खण्डपीठ
श्री,गणेश कुमार, सदस्य
श्री भवानीसिंह पालावत,सदस्य

उपस्थितः—

श्री हनुमान प्रसाद गुनार्डिया, अति0 राजकीय अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से

निर्णय

दिनांकः 16—11—2022

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 09—07—2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0/वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा—88, 89, 90, 91, 92 ए आरटीए,1955 का विरूद्ध अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 591 रकबा 4.95 हैक्टे0 जिसके साबिक खसरा नं0 351 रकबा 30 बीघा संवत 2016—19 की जमाबंदी में दर्ज थे। उक्त भूमि को रेस्पा0/वादीगण के पिता बतौर जैली अंकित है। इसी आधार पर इंतकाल नं0 66 सन् 1964 में उसके पिता को बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया गया था तथा वर्ष 1984 में एक रेस्फरेंस जिलाधीश कोटा द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने पर दिनांक 19—01—1988 को निर्णित किया गया। इसी दौरान भू—प्रबंध का कार्य प्रारंभ होने से वादग्रस्त भूमि तरतीबी रेस्पो0 सं0 2 मूर्ति माता जी के नाम अंकित कर दी गई। इस कारण उसे परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पड़ा। इसके बाद परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य लेकर

एवं बहस सुनकर दिनांक 31–10–2002 को वाद को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09–07–2003 को अपील स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4– अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री माताजी विराजमान रटावत की है जो कि एक शाश्वत नाबाबिग होने से धारा–46(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति मंदिर नाबालिग शाश्वत की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर उसे विधिविरूद्ध खातेदार काश्तकार घोषित किया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि वादग्रस्त भूमि मूर्ति मंदिर की भूमि है। रेस्पो0 जो कि मंदिर की भूमि पर काश्त कर रहा है। वह मूर्ति मंदिर की ही काश्त मानी जावेगी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर एवं माफी रिज्यूम होने पर मंदिर स्वतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो जाता है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त मंदिर की खुदकाश्त नहीं मानकर डिक्री प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय में वादीगण की ओर से दावा प्रस्तुत होने पर परीक्षण न्यायालय ने विधिक सुनवाई करते हुए अपना निर्णय / डिक्री पारित करते हुए दावा वादी दिनांक 31–10–2002 खारिज किया गया है जो विधिसम्मत है जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिक्री दिनांक 31–10–2002 को निरस्त कर विधिक कानूनी त्रुटि की है। अंत में अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2002 को यथावत बनाए रखने का आदेश प्रदान करने का निवदेन किया।

5– इसके विपरित अभिभाषक रेस्पो0 का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर की भूमि थी न कि मंदिर के खाते की। उक्त आराजी दिनांक 01–07–1967 को रिज्यूम हो गई। ऐसी स्थिति में आरटीए,1955 दिनांक 15–10–1955 को माफी रिज्यूम होने के समय वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0

काबिजकाश्त थे। विवादित आराजी पर रेस्पो0 के पिता का नाम बतौर खातेदार अंकित कर दिया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से संवत 2008 से निरन्तर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। परीक्षण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को मंदिर की भूमि मानकर हमारा दावा विधिविरूद्ध खारिज किया गया है जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को आधार मानते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। अंत में निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

6— हमने अभिभाषक उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया गया।

7— अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है जबकि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिक्री को निरस्त कर अपील को स्वीकार किया गया है।

8— दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट की ओर से मुख्य तर्क यह रहा है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री माताजी विराजमान रटावत की है जो कि एक शासक नाबाबिग होने से धारा—46(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति मंदिर नाबालिग शाश्वत की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार कर उसे विधिविरूद्ध खातेदार काश्तकार घोषित किया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि वादग्रस्त भूमि मूर्ति मंदिर की भूमि है। रेस्पो0 जो कि मंदिर की भूमि पर काश्त कर रहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 591रकबा 4.95 हैक्टे0 जिसके साबिक खसरा नं0 351 रकबा 30 बीघा संवत् 2016—19 की जमाबंदी में दर्ज थे। उक्त भूमि को रेस्पो0 / वादीगण के पिता बतौर जैली अंकित है। इसी आधार पर इंतकाल नं0 66 सन् 1964 में उसके पिता को बतौर खातेदार कृषक दर्ज किया गया था तथा वर्ष 1984 में एक रेस्फरेंस जिलाधीश कोटा द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत होने पर दिनांक 19—01—1988 को निर्णित किया गया, लेकिन रेफरेंस पर कोई अन्तिम निर्णय पारित नही हुआ है चूँकि इसी दौरान भू—प्रबंध का कार्य प्रारंभ होने से वादग्रस्त भूमि तरतीबी रेस्पो0 सं0 2 मूर्ति माता जी के नाम अंकित कर

दी गई। वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री माताजी विराजमान रटावत की है जो कि एक शाश्वत नाबालिग होने से धारा–46(ए) राजस्थान काश्तकारी अधी0 1955 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति मंदिर नाबालिग शाश्वत की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी को वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान नहीं किया कि राजस्थान जागीर पुनर्गहण अधिनियम– 1952 के प्रावधानों के तहत अर्थात धारा 10 मूर्ति मन्दिर जिसकी भूमि को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 9 का गलत अर्थ लगाते हुए उक्त कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना मानकर जो निर्णय पारित किया है वह कानून सम्मत नही है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि कोटा जिले में जैली काश्तकारों उपकृषक का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। इस कारण विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 9 जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार देने का जो निर्णय पारित किया है, विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता । चूकि विधि अपने आपमें स्पष्ट है कि मूर्ति मन्दिर शाश्वत नाबालिक है जिसकी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है यदि मन्दिर की आराजी पर किसी व्यक्ति की काश्त भी है तो वह काश्त मन्दिर नाबालिग शाश्वत की मानी जावेगी। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सम्वत 2012 से 2015 में वादी के पिता मोतीलाल को भूमि 1600 / –में रहन रखी थी उसके बाद कब्जा स्वतः ही छोड देना अंकित है। इसके उपरांत मोतीलाल का यदि कब्जा रहा है तो वह एक अवैधानिक एवं अतिक्रमण के रुप में रहा है। बाद में जो राजस्व रिकार्ड में जैली का अंकन करवाया गया है , उक्त अंकन के आधार पर वादीगण को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार मूर्ति से प्राप्त नहीं होते हैं। इसी आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज किया है, जो विधिसम्मत है लेकिन उक्त निर्णय दिनांक 31–10–2002 के विरुद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर, अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर वादी / अपीलांट के वाद को स्वीकार कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है,

विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09—07—2003 को निरस्त कर, उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय एवं. डिक्री दिनांक 31.10. 2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य